Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JAYAL

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 15-10-2024 1:53 PM

Fee Receipt No	: 202402226005526	Receipt Date	: 15/10/2024
Name	: JITENDRA LOMROD,	Document S. No.	: 202401226005489
Address	: , , ,		
Document Type	: Copy Of Document		
Face Value	: ₹ 0	Evaluated Value	: ₹ 0
Ord-Registration Fee	: ₹ 0	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 0	Certified copying fees Us_57	: ₹ 100
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 30	Stamp Duty	: ₹ 100
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
Site Inspection Fees	: 0	**Cash Amount Received**	: **₹ 0**
		Other than Cash	: **₹ 230**
		Total Amount	: **₹ 230**

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)
e-Gras Challan 95673352 ₹ 230

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Signature of recipient and date of return receipt

Cashier

SUB-REGISTRAR उप पंजीयक, जायल

न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

गैर अदालती

राजस्थान RAJASTHAN

C 515599

5-4-13

-: दान-पत्र :-

मै भोमसिंह पुत्र श्री इन्द्रचन्द कौस जाट उम्र 35 साल निवासी जायल तहसील जायल जिला नागौरराजस्थान राज्य का रहनें वाला हूं । मै समस्त स्वत्व एवं अधिकार तथा सुविधाओ सहित तथा खातेदार की हैसियत से :--

-: पक्ष मे :-

जितेन्द्रसिंह पुत्र श्री इन्द्रचन्द कौस जाट उम्र 30 वर्ष निवासी जायल के जरियें सचिव वीर तेजा शिक्षण संस्थान जायल तहसील जायल जिला नागौर राजस्थान राज्य के हक मे निचे वर्णित खातेदारी काश्तकारी कब्जा जोत अधिकार का रकबा का दान कर देता हूं कि :-

कि शरहद ग्राम जायल के खसरा नंबर 3640/2310 रकबा 6-19 बीघा किस्म जमीन बारानी- 3 वर्तमान जमाबंदी खाता सं. 996 तथा वर्तमान जमाबंदी चोसाला संवत् 2065 से 2068 मे दर्ज राजस्व-रिकार्ड मे खातेदारी राजस्व-रेकार्ड मे भोमसिंह पुत्र इन्द्रचन्द कौस जाट (लोमरोड़) निवासी देह खातेदार के नाम से होने से उक्त खातेदारी काश्तकारी कब्जा जोत अधिकार का रकबा को दान करनें का कानुनन हक अधिकार प्राप्त होने से एवं तुम मेरा सगा भाई हो और उक्त शिक्षण संस्थान का सचिव होने से तुम्हारे प्रति मेरा अति-प्रेम स्नेह

सही प्रतिलिपि

उप पंजीयक, जायल

103 दिनांक 8.4.13

ओमाराम

पिता/पति इन्द्रचन्द

जाति जाट उम्र 55

निवासी आसमरा [illegible] आसमरा

[illegible] | [illegible]

1000 X 3 = 3000
100 X 7 = 700

3700

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

C 515600

5.4.13

लगान होने से उक्त खसरा नंबर 3640/2310 रकबा 6-19 बीघा का निशुल्क दान कर मेरी जगह मालिक खातेदार बना दिया जो सहीहैउक्त दान की गई सम्पति (रकबा) को आप अपनी सुविधानुसार उपरोक्त शिक्षण संस्थान के काम मे लायेगे जो सही है इसमे कोई रूकावट बाधा अडचन हक-हकूक नही करेगे तथा उक्त दान की गई भूमि पर अब मेरा व दीगर परिवार के सदस्यो का कोई हक कब्जा वास्ता अधिकार इत्यादि नही रहाहैऔर न आयन्दा के लिये रहेगा। उक्त दान की गई भूमि पर किसी प्रकार का लॉन ऋण बकाया नहीहै और न किसी प्रकार का राजस्व- न्यायालयो मे वाद-दावा मुकदमा एवं स्थगन प्रकरणो से प्रभावित नही है। उक्त दान कीगई भूमि का आप दान-ग्रहिता अपने नाम से राजस्व-रेकार्ड मे अमल-दरामद दर्ज करवाकर कानुनन हक खातेदारी कब्जा अधिकार विधीवत प्राप्त कर लेना जो सही एवं स्वीकार है इसमे कोई हक उजरदारी आपति ऐतराज करने या उठाने काकोई हक-हासिल नही होगा । उक्त दान की गई भूमि मे सिंचाई- पियाई का कोई स्त्रोत नही होने से उक्त रकबा पूर्णत्या असिंचित है। उक्त दान की गई भूमि पर जो भी मुझे हक खातेदारी कब्जा अधिकार प्राप्त थे वो तमाम दान-ग्रहिता मे विधीवत प्राप्त होगा जो सही है तथा दान की गई भूमि से गांव व सडक तकरीबन 2-2 कि.मी. दूर है।

सही प्रतिलिपि

उप पंजीयक,जायल

सं. 103 दिनांक 8.3.13

नाम ... ओमसिंह

पिता/पति ... इन्द्रचन्द

जाति ... जाट उम्र ... 55

निवासी ... जायल तह. जायल

[illegible]

[illegible] April सन 2013 [illegible]

[illegible] JAYAL

[illegible]

[illegible]

[illegible]

सही प्रतिलिपि

उपपंजीयक,जायल

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

-: 3 :-

C 515601

उपकोष दिनांक 5-4-13 जायल (राज.)

उक्त दान कीगई भूमि को आजसे पूर्व अन्य किसी विशेष व्यक्ति के हक मे विक्रय, अन्तरण, बक्सीस, वसीयती, हक बंट रहन बंधक इत्यादि किया गया नही है तमाम प्रकारो व प्रभारो से मुक्त है।

तमाम सबूतोंबाबत ग्राम जायल के खसरा नंबर 3640/2310 रकबा 6-19 बीघा का अपनी स्वेच्छया से निशुल्क दान जो आप दान-ग्रहिता के हक मेकिया गया है जिसका आप राजस्व-अभिलेखो मे म्युटेशन दर्जकरवाकर कानुनन हक खातेदारी कब्जा अधिकारविधीवत प्राप्त कर लेना जो सहीहै। दान-ग्रहिता ने उक्त प्रदेय भूमि को लेना लेना प्रतिगृहित करता हूं।

अतः यह दान-पत्र मैने मेरी राजीखुसी बिना नशा-पता किये बिना दबाव बिनाबहकाव सौच समझ करके स्टाम्प रूपया 3700/-पर टाईप करवा दिया जो सही है कहने दानकर्त्ता की राजीरजा से रूबरू बताये अनुसारटाईप किया है जिसकी सम्पूर्ण इबारत पढकर सुनाने व समझाने पर सही होना स्वीकार किया है।

टाईपकर्ता : पवनकुमार पाराशैर दस्तावेज लेखक जायल का है। दिनांक 8-04-2013

सही प्रतिलिपि

उप पंजीयक, जायल

क्र. 103 दिनांक 8.4.13
नाम [illegible]
पिता/पति [illegible]
जाति जाट उम्र 55
निवासी [illegible]
राशि [illegible]
स्टाम्प विक्रेता, जायल

निष्पादक श्री / श्रीमती / सुश्री (Executant)
[illegible] SINGH PUTR RAICHAND
आयु [illegible]
Occ AGRI
R/O JAYAL

[illegible]
[illegible]
[illegible]
Age [illegible]
Occ AGRI
R/O [illegible]
R/O JAYAL

[illegible]

पहचान [illegible]
1. श्री / श्रीमती / सुश्री [illegible]
पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री RAMCHAND [illegible]
[illegible]
निवासी JAYAL

2. श्री / श्रीमती / सुश्री [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]

सही प्रतिलिपि
उप पंजीयक,जायल

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

V 351183

5.4.13

साक-1- राजेन्द्र पुत्र रामप्रसाद जाति सैन उम्र 43 साल निवासी जायल की है कहने दानकर्ता की राचीरणा से साक डाली है।

साक-2- हेमाराम पुत्र श्री बद्रीराम जाति जाट उम्र 39 साल निवासी सोमणा की है कहने दानकर्ता के रजू साक डाली है।

सही प्रतिलिपि

उप पंजीयक, जायल

क्र. 10... दिनांक...

स्टाम्प वेन्डर

सही प्रतिलिपि

उप पंजीयक, जायल

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- जायल

पटवार हल्का :- जायल

भू.अभि.नि.क्षेत्र :- जायल

तहसील :- जायल

जिला :- नागौर

अंतिम चौसाला आधार संवत :- 2073 - 2076

भूमि धारक का नाम :- राज. सरकार

क्षेत्रफल की इकाई :- हैक्टेयर

खाता संख्या नया :- 2056

खाता संख्या पुराना :- 1267

जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी

काश्तकार का नाम :-

1. वीर तेजा शिक्षण संस्थान जायल जरिये सचिव जितेन्द्र सिंह पुत्र इन्द्रचंद जाति जाट हिस्सा- पूर्ण सा. देह संस्था के लिए,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनाँक	टिप्पणी
3640/2310	0.1250	बारानी 3	0.1250	0.39		स्वीकृत नामांतरकरण : 40 11/08/2021शुद्धिपत्र	
3857/3640	1.0000	गै.मु.शिक्षणसस्थां न	1.0000				
कुल खसरे -2	**1.1250**			**0.3900**			

आवेदक की सूचना :-

आवेदक का नाम - वीर तेजा

प्रतिलिपि सं. - 102289

दिनाँक व समय -08/Jul/2024 03:58:00 PM

पता - जयल

आई.पी. - 10.70.244.252

नक़ल जारी करने का स्थान - जायल

यू.एस.एन - 2191236262056403

https://apnakhata.rajasthan.gov.in/qr.aspx?usn=2191236262056403

ई-हस्ताक्षर की सूचना :-

हस्ताक्षरकर्ता - NEERAJKUMARI09

पद - तहसीलदार

[illegible]

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 05/04/2025 01:20:43 PM

जिला : नागौर | तहसील : जायल | भू. अ. नि. क्षेत्र : जायल

पटवारी हल्का : जायल | ग्राम : जायल

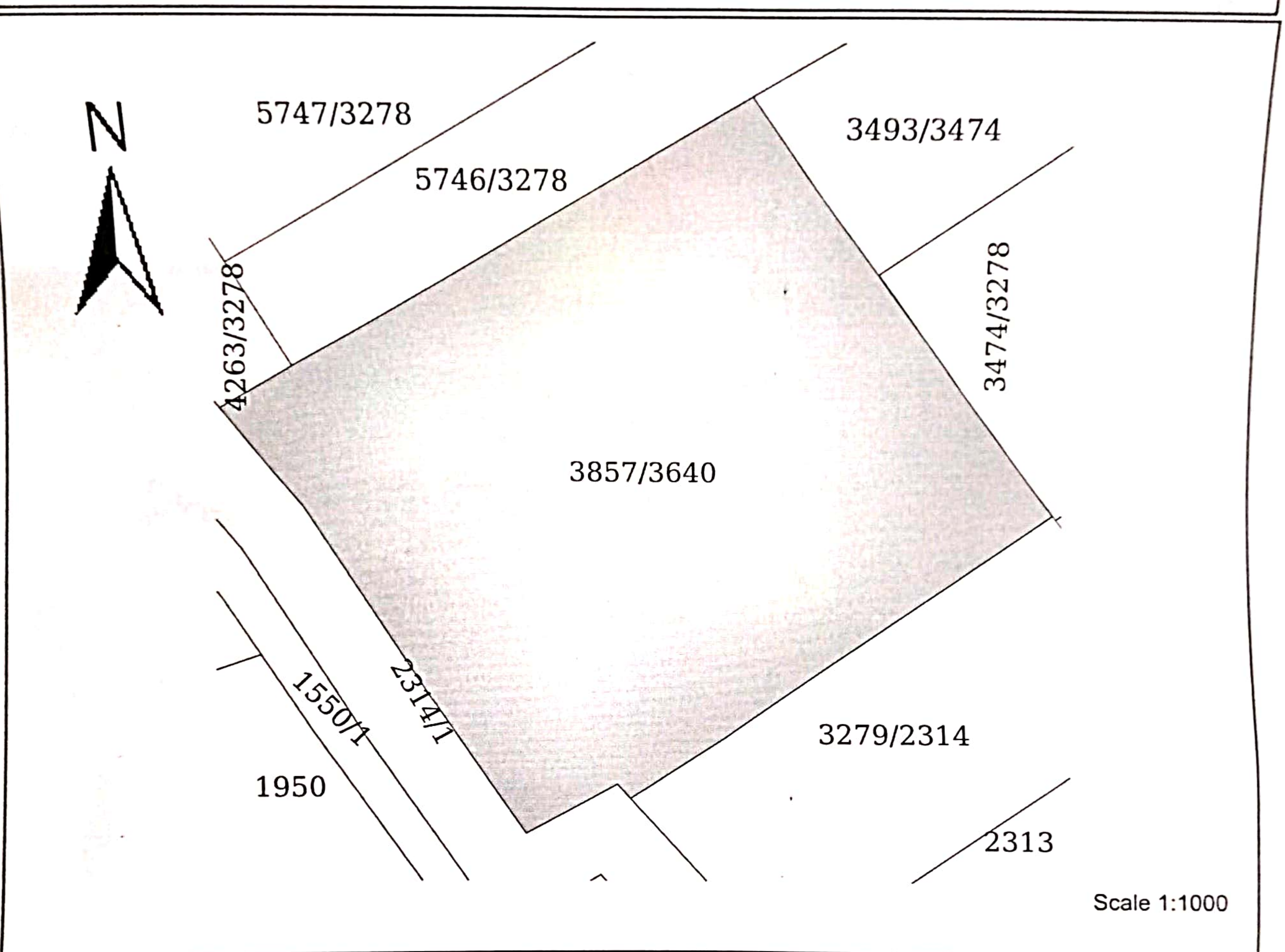

खसरा संख्या :3857/3640 क्षेत्रफल : 1.0000 Hectare खाता संख्या : 2056पुराना खाता संख्या :1267

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]:

1.) वीर तेजा शिक्षण संस्थान जायल जरिये सचिव जितेन्द्र सिंह पुत्र इन्द्रचंद जाति जाट हिस्सा- पूर्ण सा. देह संस्था के लिए

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी/मजिस्ट्रेट, जायल
प्रमाणित प्रतिलिपि, मु० सं० 14/13
संपरिवर्तन आदेश बाबत वीर तेजा शिक्षण संस्थान जायल

राजस्थान–सरकार

कार्यालय विहित प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), जायल (नागौर) राज.

क्रमांक : राजस्व / सपरिवर्तन / 2013 / 489 दिनांक : 14.05.2013

–: : संपरिवर्तन आदेश : :–

आवेदक वीरतेजा शिक्षण संस्थान जायल जरिये सचिव श्री जितेन्द्रसिंह पुत्र इन्द्रचन्द जाति जाट निवासी जायल तहसील जायल जिला–नागौर के आवेदन पर उनकी खातेदारी की अभिधृति कृषि भूमि का राजस्थान भू–राजस्व नियम 2007 ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ (शैक्षणिक प्रयोजनार्थ) संपरिवर्तन नियम 9 (1) अनुसार एतद् द्वारा सम्परिवर्तन किया जाता है जिसकी विशिष्टियां निम्न प्रकार है :–

1	आवेदक का नाम, पिता / पति के नाम सहित तथा पूरा पता :–	वीरतेजा शिक्षण संस्थान जायल जरिये सचिव श्री जितेन्द्रसिंह पुत्र इन्द्रचन्द जाति जाट निवासी जायल तहसील जायल जिला–नागौर
2	क्या आवेदक खातेदार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का सदस्य है :–	नहीं
3	संपरिवर्तन भूमि का ब्यौरा :– 1. ग्राम / ग्राम पंचायत / तहसील का नाम 2. भूमि का खसरा नं. और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (बीघा / वर्गमीटर में) 3. प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल उपदर्शित करते हुये संपरिवर्तित क्षेत्रफल (बीघा / वर्गमीटर में)	 जायल / जायल / जायल ख. नं. 3640 / 2310 रकबा– 6 बीघा (छः बीघा) 10,000 वर्गमीटर
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन :–	शैक्षणिक प्रयोजनार्थ (संलग्न नक्शानुसार)
5	संपरिवर्तन की दर :–	5 रू. प्रतिवर्गमीटर
6	चालान संख्या / दिनांक तथा जमा कराई गई राशि :–	32 / 09.05.2013 – 50,000 / – अक्षरे : पचास हजार रूपये
7	चालान संख्या / दिनांक सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम :–	–
8	चालान संख्या / दिनांक सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम :–	–
9	क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया गया है।	–
10	अन्य विशिष्टिया (संपरिवर्तन भूमि का प्रयोग किया जाना है) :–	1. यह आदेश इण्डियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अध्याधीन है। 2. सम्परिवर्तन भू–भाग में किसी पड़ौसी की भूमि को क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी।

उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तो के अध्याधीन होगा :–

ओ स्टेट प्रमाणित प्रतिलिपि
अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी

आदेशानुसार
उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

मिलान किया
तैयारकर्ता मिलानकर्ता

01. उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।

02. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन/राशि समपहृत हो जायेगा।

03. नियम-4 में वर्णित भूमि इस प्रयोजनार्थ प्रयोजन में नहीं जावेगी।

04. लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषि प्रयोजन के लिए विहित प्राधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जावेगा।

05. इण्डियन रोड़ कांग्रेस द्वारा निर्धारित मानदण्डानुसार भूमि निःशुल्क राज्य पक्ष में छोड़ते हुये शेष भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लाई जावेगी तथा निर्माण करते समय मुख्य राजमार्ग/राष्ट्रीय राजमार्ग से 132 फिट, मेजर डिस्ट्रीक्ट /ग्रामीण सड़क से 100 फिट सड़क के मध्य बिन्दू से छोड़ते हुये समपरिवर्तन किया जाता है।

06. निकटतम नगरपालिका/स्थानिय निकास की उप विधियो एवं निर्धारित मानदण्डो के अनुसार निर्माण कराना होगा व पूर्ण निर्माण निर्धारित प्रतिमानों के अनुरूप होना आवश्यक है।

07. इस समपरिवर्तन आदेश के संलग्न ब्ल्यूप्रिन्ट/नक्शा इस आदेश का भाग होगा।

विहित प्राधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी,)
जायल(नागौर)

क्रमांक : सम/2013/ 490-493

दिनांक : 14.05.2013

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, नागौर।
2. तहसीलदार जायल।
3. संबंधित ग्राम पंचायत जायल पंचायत समिति जायल जिला नागौर।
4. संबंधित आवेदक **वीरतेजा शिक्षण संस्थान जायल जरिये सचिव श्री जितेन्द्रसिंह पुत्र इन्द्रचन्द जाति जाट निवासी जायल तहसील जायल जिला-नागौर**

विहित प्राधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी,)
जायल(नागौर)

फोटो स्टेट प्रमाणित प्रतिलिपि
अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी
आदेशानुसार
उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

तैयारकर्ता निरीक्षणकर्ता

नक्शा वीर तेजा सह. शैक्षणिक महाविद्यालय

B.SC, B.ED - 1 UNIT   B.A, B.ED - 1 UNIT

ख० न० 3857/3640 छाजोली रोड ग्राम जायल जिला नागौर

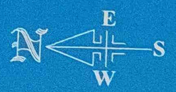

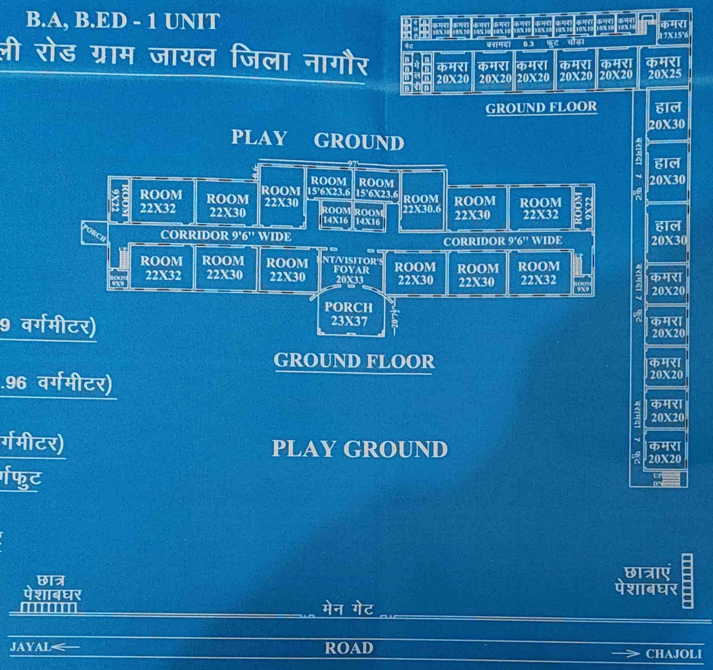

GROUND FLOOR

निर्मित एरिया 27700 वर्गफुट (2573.39 वर्गमीटर)

FIRST FLOOR

निर्मित एरिया 11764.67 वर्गफुट (1092.96 वर्गमीटर)

SECOND FLOOR

निर्मित एरिया 3306 वर्गफुट (307.13 वर्गमीटर)

टोटल निर्मित एरिया 42770.67 वर्गफुट

जिसके 3973.48 वर्गमीटर

सम्पूर्ण भूमि क्षेत्रफल 10000 वर्गमीटर

SR. NO.	FLOOR	TOTEL AREA SQURE MTR.	ROOM NAME
1	GROUND FLOOR	198	EXAM ROOM(B.A,B.ED&B.SC,B.ED
2	GROUND FLOOR	704	CLASS ROOM (B.A,B.ED.)
3	GROUND FLOOR	660	CLASS ROOM (B.A,B.ED.)
4	GROUND FLOOR	660	ICT
5	GROUND FLOOR	364.25	STAFF ROOM
6	GROUND FLOOR	224	OFFICE (B.A,B.ED&B.SC,B.ED)
7	GROUND FLOOR	364.25	MANNAGEMENT (B.A,B.ED&B.SC,B.ED)
8	GROUND FLOOR	224	PRINCIPAL OFFICE (B.A,B.ED&B.SC,B.ED)
9	GROUND FLOOR	660	PHYSICAL EDUCATION LAB.
10	GROUND FLOOR	660	CLASS ROOM (B.SC,B.ED.)
11	GROUND FLOOR	704	CLASS ROOM (B.SC,B.ED.)
12	GROUND FLOOR	198	FIRST AND ROOM
13	GROUND FLOOR	81	STORE
14	GROUND FLOOR	704	CLASS ROOM (B.SC,B.ED.)
15	GROUND FLOOR	660	CLASS ROOM (B.SC,B.ED.)
16	GROUND FLOOR	660	FINE ART (B.A,B.ED&B.SC,B.ED)
17	GROUND FLOOR	660	LIBRARY
18	GROUND FLOOR	660	CLASS ROOM (B.A,B.ED.)
19	GROUND FLOOR	704	CLASS ROOM (B.A,B.ED.)
20	GROUND FLOOR	81	STORE
21	GROUND FLOOR	400	PRINCIPAL ROOM (GEN.)
22	GROUND FLOOR	400	STAFF ROOM (GEN.)
23	GROUND FLOOR	400	OFFICE (GEN.)
24	GROUND FLOOR	400	B.A CLASS ROOM
25	GROUND FLOOR	400	B.A CLASS ROOM
26	GROUND FLOOR	600	B.SC. CLASS ROOM
27	GROUND FLOOR	600	B.SC. CLASS ROOM
28	GROUND FLOOR	600	B.SC. CLASS ROOM
29	GROUND FLOOR	500	B.SC. CLASS ROOM
30	GROUND FLOOR	400	B.SC. CLASS ROOM
31	GROUND FLOOR	400	B.SC. CLASS ROOM
32	GROUND FLOOR	400	GIRLS COMMON ROOM
33	GROUND FLOOR	400	BOYS COMMON ROOM
34	GROUND FLOOR	400	EXAMINATION ROOM (GEN.)
35	GROUND FLOOR	263.5	CANTEEN
36	FIRST FLOOR	400	B.A CLASS ROOM
37	FIRST FLOOR	400	B.A CLASS ROOM
38	FIRST FLOOR	400	B.A CLASS ROOM
39	FIRST FLOOR	400	LAB NO. 1
40	FIRST FLOOR	400	LAB NO. 2
41	FIRST FLOOR	600	LAB NO. 3
42	FIRST FLOOR	600	LAB NO. 4
43	FIRST FLOOR	600	LAB NO. 5
44	FIRST FLOOR	500	MUSIC ROOM
45	FIRST FLOOR	400	FACALITY ROOM
46	FIRST FLOOR	400	GIRLS COMMON ROOM (GEN.)
47	FIRST FLOOR	400	BOYSS COMMON ROOM (GEN.)
48	FIRST FLOOR	400	STORE
49	FIRST FLOOR	400	STORE
50	FIRST FLOOR	263.5	CANTEEN
51	SECOND FLOOR	3306	MULTIPURPOSE HALL

TOTEL LAND AREA 10000 SQ MTR.

अजहरूद्दीन अंसारी
सिविल इंजिनियर, नागौर
(Reg. 8929/23-24)
मो० 9983491039
मो० 9314491039

कनिष्ठ अभियन्ता
पंचायत समिति, जायल

(पूनमचंद बाँगड़ा)
सहायक अभियन्ता
सा.नि.वि., उपखण्ड जायल

सहायक अभियंता
नगर पालिका जायल

नक्शा वीर तेजा सह. शैक्षणिक महाविद्यालय FIRST FLOOR/SECOND FLOOR

ख० न० 3857 / 3640 छाजोली रोड ग्राम जायल जिला नागौर

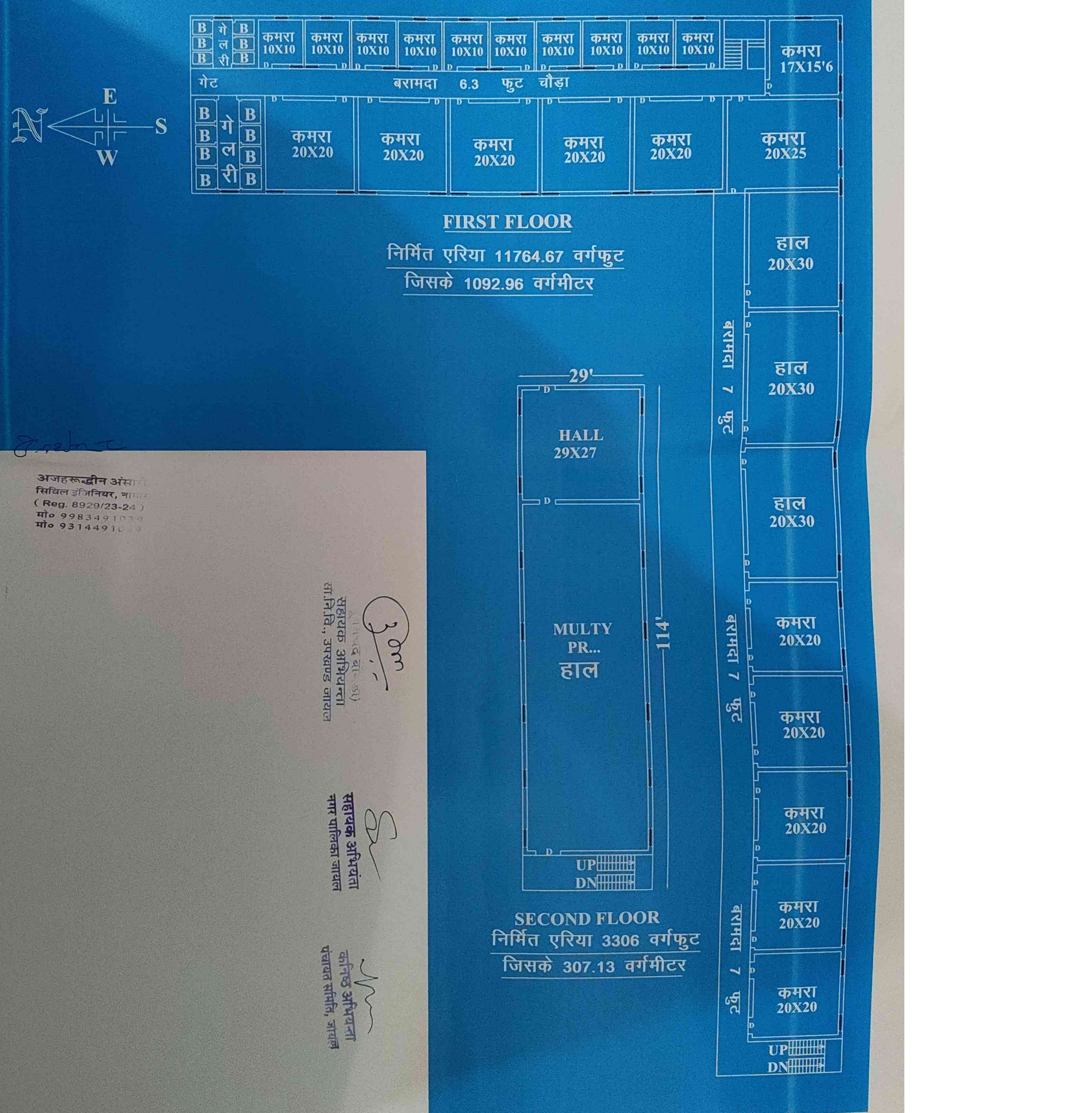

अजहरूद्दीन अंसारी
सिविल इंजिनियर, नागौर
(Reg. 8929/23-24)
मो० 9983491030
मो० 9314491039

सहायक अभियन्ता
सा.नि.वि., उपखण्ड जायल

सहायक अभियंता
नगर पालिका जायल

कनिष्ठ अभियन्ता
पंचायत समिति, जायल

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

CB 711729

NOTARY Ambalal Parashar JAYAL Reg. No. 1530 Exp Dt 20.06.2028 GOVT. OF RAJASTHAN

दिनांक 12-1-26

शपथ पत्र

मैं जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री इन्द्र सिंह जाति जाट निवासी जायल सचिव वीर तेजा शिक्षण संस्थान, जायल शपथपूर्वक बयान करता हूं:–

1. वीर तेजा शिक्षण संस्थान, जायल द्वारा कुल विक्रय भूमि 1.1250 हैक्ट है। जिसमें से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ हेंतु 10000 वर्गमीटर भूमि का संपरिवर्तन करवा कर नये खसरा सं. 3857/3640 बना दिया गया है।
2. संपरिवर्तन भूमि खसरा सं. 3640/2310/ में से 1 हैक्ट (10000 वर्ग मीटर) करवाकर शैक्षणिक प्रयोजनार्थ 3857/3610 बन गया है जिसके सभी दस्तावेज संस्था द्वारा उपलब्ध करवा दिये जाएगे यथा:– नकल, नक्शा, भारमुक्त प्रमाण पत्र।
3. सभी शैक्षणिक गतिविधियां यथा कोर्स B.Sc. B.Ed./B.A. B.Ed., B.A., B.Sc. खसरा सं. 3857/3610 पर निर्मित भवन में संचालित किये जा रहे है।

मैं जितेन्द्र सिंह शपथ पूर्वक अभिलिखित करता हूं कि महाविद्यालय द्वारा उक्त शपथ–पत्र में वर्णित कथन/विवरण/संलग्न दस्तावेज पूर्णतया सत्य हैं एवं किसी भी तथ्य को महाविद्यालय द्वारा छिपाया नहीं गया है। मैं यह भी शपथपूर्वक बयान करता हूं कि किसी भी प्रकार की अनियमितता/विसंगति/कमी के लिए हमारी संस्था पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहेगी

दिनांक : 06/02/2026

स्थान: जायल

सचिव

सचिव
वीर तेजा शिक्षण संस्थान
जायल, जिला-नागौर (राज.)

ATTESTED
Ambalal Parashar
NOTARY, JAYAL Dist. NAGAUR

कार्यालय - तहसीलदार जायल (नागौर)

क्रमांक: 22 दिनांक : 30-01-2026

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वीर तेजा शिक्षण संस्थान जायल की खसरा नं. 3857/3640 पूर्ण रूप से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ के लिए संपरिवर्तित है। सम्पूर्ण शैक्षणिक प्रयोजनार्थ इसी खसरा संख्या 3857/3640 (10000 वर्गमीटर) में संचालित है, जिसका निर्मित एरिया 3973 वर्ग मीटर एवं अन्य सभी सुविधाएं (यथा खेल मैदान) इसी खसरा संख्या 3857/3640 (10000 वर्गमीटर) में ही स्थित है।

यह खसरा 3857/3640 पूर्ण रूप से भार-मुक्त है।

30/1/2026

तहसीलदार जायल

तहसीलदार, जायल (नागौर)

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी/मजिस्ट्रेट, जा...

प्रमाणित प्रतिलिपि, मु० सं० ......14/13.........

संपरिवर्तन आदेश ... वीर तेजा शिक्षण संस्थान जायल

राजस्थान–सरकार

कार्यालय विहित प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), जायल (नागौर) राज.

क्रमांक : राजस्व / सपरिवर्तन / 2013 / 489 — दिनांक : 14.05.2013

—: : संपरिवर्तन आदेश : :—

आवेदक वीरतेजा शिक्षण संस्थान जायल जरिये सचिव श्री जितेन्द्रसिंह पुत्र इन्द्रचन्द जाति जाट निवासी जायल तहसील जायल जिला–नागौर के आवेदन पर उनकी खातेदारी की अभिधृति कृषि भूमि का राजस्थान भू–राजस्व नियम 2007 ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ (शैक्षणिक प्रयोजनार्थ) संपरिवर्तन नियम 9 (1) अनुसार एतद् द्वारा सम्परिवर्तन किया जाता है जिसकी विशिष्टियां निम्न प्रकार है :–

1	आवेदक का नाम, पिता / पति के नाम सहित तथा पूरा पता :–	वीरतेजा शिक्षण संस्थान जायल जरिये सचिव श्री जितेन्द्रसिंह पुत्र इन्द्रचन्द जाति जाट निवासी जायल तहसील जायल जिला–नागौर
2	क्या आवेदक खातेदार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का सदस्य है :–	नहीं
3	संपरिवर्तन भूमि का ब्यौरा :– 1. ग्राम / ग्राम पंचायत / तहसील का नाम 2. भूमि का खसरा नं. और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (बीघा / वर्गमीटर में) 3. प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल उपदर्शित करते हुये संपरिवर्तित क्षेत्रफल (बीघा / वर्गमीटर में)	 जायल / जायल / जायल ख. नं. 3640 / 2310 रकबा– 6 बीघा (...) 10,000 वर्गमीटर
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन :–	शैक्षणिक प्रयोजनार्थ (संलग्न नक्शानुसार)
5	संपरिवर्तन की दर :–	5 रू. प्रतिवर्गमीटर
6	चालान संख्या / दिनांक तथा जमा कराई गई राशि :–	32 / 09.05.2013 – 50,000 / – अक्षरे : पचास हजार रूपये
7	चालान संख्या / दिनांक सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम :–	—
8	चालान संख्या / दिनांक सहित ब्याज यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम :–	—
9	क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया गया है।	—
10	अन्य विशिष्टिया (संपरिवर्तन भूमि का प्रयोग किया जाना है) :–	1. यह आदेश इण्डियन रोड़ कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अध्याधीन है। 2. सम्परिवर्तन भू–भाग में किसी पड़ौसी की भूमि को क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी।

उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन होगा :–

सही स्टेट प्रमाणित प्रतिलिपि
अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी

आदेशानुसार
उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

मिलान किया
तैयारकर्ता मिलानकर्ता

01. उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।

02. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन/राशि समपहृत हो जायेगा।

03. नियम–4 में वर्णित भूमि इस प्रयोजनार्थ प्रयोजन में नहीं जावेगी।

04. लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषि प्रयोजन के लिए विहित प्राधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जावेगा।

05. इण्डियन रोड़ कांग्रेस द्वारा निर्धारित मानदण्डानुसार भूमि निःशुल्क राज्य पक्ष में छोड़ते हुये शेष भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लाई जावेगी तथा निर्माण करते समय मुख्य राजमार्ग/राष्ट्रीय राजमार्ग से 132 फिट, मेजर डिस्ट्रीक्ट /ग्रामीण सड़क से 100 फिट सड़क के मध्य बिन्दू से छोड़ते हुये समपरिवर्तन किया जाता है।

06. निकटतम नगरपालिका/स्थानिय निकास की उप विधियो एवं निर्धारित मानदण्डो के अनुसार निर्माण कराना होगा व पूर्ण निर्माण निर्धारित प्रतिमानों के अनुरूप होना आवश्यक है।

07. इस समपृरिवर्तन आदेश के संलग्न ब्ल्यूप्रिन्ट/नक्शा इस आदेश का भाग होगा।

विहित प्राधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी,)
जायल(नागौर)

क्रमांक : सम/2013/ 490-493 दिनांक : 14.05.2013

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, नागौर।
2. तहसीलदार जायल।
3. संबंधित ग्राम पंचायत जायल पंचायत समिति जायल जिला नागौर।
4. संबंधित आवेदक वीरतेजा शिक्षण संस्थान जायल जरिये सचिव श्री जितेन्द्रसिंह पुत्र इन्द्रचन्द जाति जाट निवासी जायल तहसील जायल जिला–नागौर

विहित प्राधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी,)
जायल(नागौर)

फोटो स्टेट प्रमाणित प्रतिलिपि
अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी
आदेशानुसार
उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

तैयारकर्ता
मिलानकर्ता

कार्यालय – तहसीलदार जायल (नागौर)

क्रमांकः भू.अ./2025/116 दिनांकः 5/5/2025

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वीर तेजा शिक्षण संस्थान जायल द्वारा संचालित वीर तेजा सह–शैक्षणिक महाविद्यालय, छाजोली रोड़, जायल खसरा नं. 3857/3640 में स्थित है यह खसरा 3857/3640 पूर्ण रूप से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ के लिए संपरिवर्तित है। सम्पूर्ण महाविद्यालय इसी खसरा संख्या 3857/3640 (10000 वर्गमीटर) में संचालित है, जिसका निर्मित एरिया 3973 वर्ग मीटर एवं अन्य सभी सुविधाएं (यथा खेल मैदान) इसी खसरा संख्या 3857/3640 (10000 वर्गमीटर) में ही स्थित है।

यह खसरा 3857/3640 पूर्ण रूप से भार–मुक्त है।

तहसीलदार (भू.अ.) जायल

तहसीलदार
जायल

कार्यालय पटवार मण्डल - जायल

मिलान खसरा खसरा नंबर 2310 .

मुल खसरा नंबर (2310)
बेचान के बाद खसरा नंबर 2310,3640/2310
शेक्षणिक प्रयोजनार्थ के पश्चात खसरा नम्बर 3857/3640,3640/2310

हस्ताक्षर पटवारी

04/04/2018

महेन्द्र सींगवा
राजस्व पटवारी
प० म० जायल
तह० जायल (नागौर)

राजस्थान सरकार | NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 05/04/2025 01:20:43 PM

जिला : नागौर | तहसील : जायल | भू. अ. नि. क्षेत्र : जायल

पटवारी हल्का : जायल | ग्राम : जायल

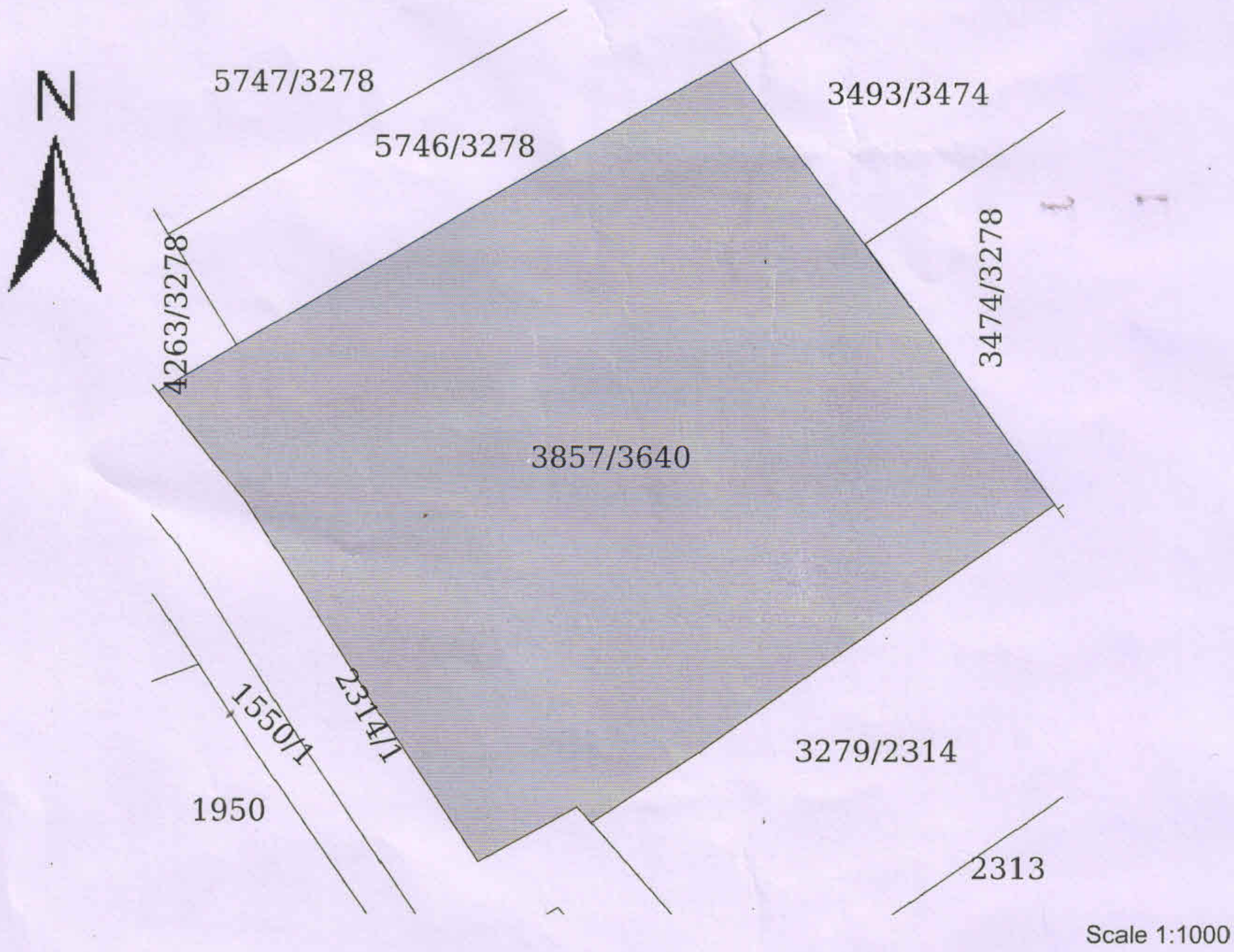

खसरा संख्या :3857/3640 क्षेत्रफल : 1.0000 Hectare खाता संख्या : 2056पुराना खाता संख्या :1267

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]:

1.) वीर तेजा शिक्षण संस्थान जायल जरिये सचिव जितेन्द्र सिंह पुत्र इन्द्रचंद जाति जाट हिस्सा- पूर्ण सा. देह संस्था के लिए

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- जायल

अंतिम चौसाला आधार संवत :- 2073 - 2076

पटवार हल्का :- जायल

भूमि धारक का नाम :- राज. सरकार

जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी

भू.अभि.नि.क्षेत्र :- जायल

क्षेत्रफल की इकाई :- हैक्टेयर

तहसील :- जायल

खाता संख्या नया :- 2056

जिला :- नागौर

खाता संख्या पुराना :- 1267

काश्तकार का नाम :-

1. वीर तेजा शिक्षण संस्थान जायल जरिये सचिव जितेन्द्र सिंह पुत्र इन्द्रचंद जाति जाट हिस्सा- पूर्ण सा. देह संस्था के लिए,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनाँक	टिप्पणी
3640/2310	0.1250	बारानी 3	0.1250	0.39		स्वीक्रत नामांतरकरण : 40 11/08/2021शुद्धिपत्र	
3857/3640	1.0000	गै.मु.शिक्षणसस्थां न	1.0000				
कुल खसरे -2	**1.1250**			**0.3900**			

आवेदक की सूचना :-

आवेदक का नाम - वीर तेजा

पता - जयल

प्रतिलिपि सं. - 102289

आई.पी. - 10.70.244.252

दिनाँक व समय -08/Jul/2024 03:58:00 PM

नक़ल जारी करने का स्थान - जायल

यू.एस.एन - 2191236262056403

https://apnakhata.rajasthan.gov.in/qr.aspx?usn=2191236262056403

ई-हस्ताक्षर की सूचना :-

हस्ताक्षरकर्ता - NEERAJKUMARI09

पद - तहसीलदार

[illegible]

राजस्थान सरकार **NIC-BHUNAKSHA**

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि) दिनांक : 05/04/2025 01:20:43 PM

जिला : नागौर तहसील : जायल भू. अ. नि. क्षेत्र : जायल

पटवारी हल्का : जायल ग्राम : जायल

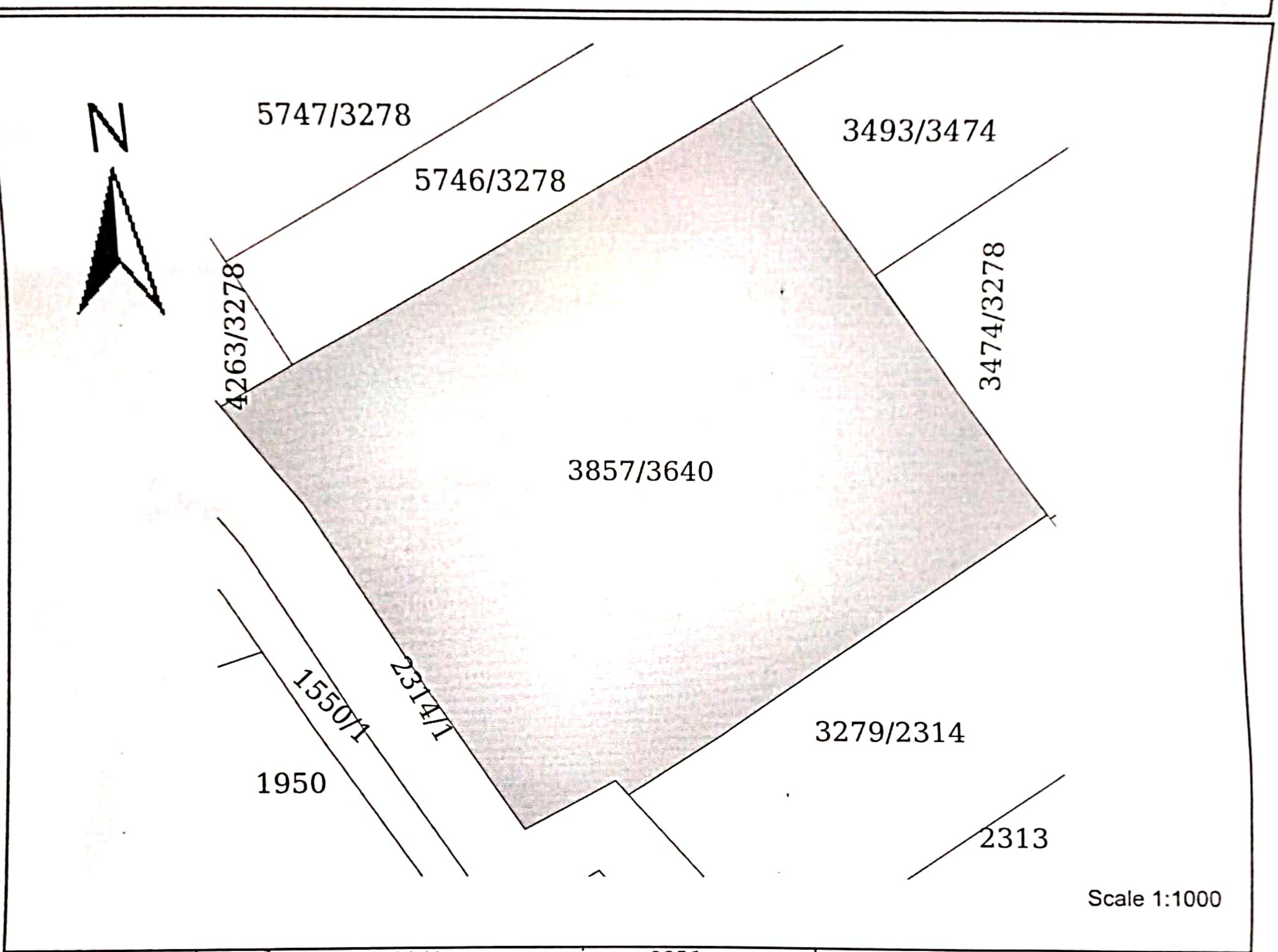

खसरा संख्या :3857/3640 क्षेत्रफल : 1.0000 Hectare खाता संख्या : 2056पुराना खाता संख्या :1267

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]:

1.) वीर तेजा शिक्षण संस्थान जायल जरिये सचिव जितेन्द्र सिंह पुत्र इन्द्रचंद जाति जाट हिस्सा- पूर्ण सा. देह संस्था के लिए

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

कार्यालय - तहसीलदार जायल (नागौर)

क्रमांक: 22 दिनांक : 30-01-2026

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वीर तेजा शिक्षण संस्थान जायल की खसरा नं. 3857/3640 पूर्ण रूप से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ के लिए संपरिवर्तित है। सम्पूर्ण शैक्षणिक प्रयोजनार्थ इसी खसरा संख्या 3857/3640 (10000 वर्गमीटर) में संचालित है, जिसका निर्मित एरिया 3973 वर्ग मीटर एवं अन्य सभी सुविधाएं (यथा खेल मैदान) इसी खसरा संख्या 3857/3640 (10000 वर्गमीटर) में ही स्थित है।

यह खसरा 3857/3640 पूर्ण रूप से भार-मुक्त है।

30/1/2026

तहसीलदार जायल

तहसीलदार, जायल (नागौर)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

BP 935500

BUILDING COMPLETION CERTIFICATE

I Shiv Ram Meena hereby certify that the institution namely **VEER TEJA CO-EDUCATION COLLEGE, JAYAL DIST. - NAGAUR (RAJASTHAN)** situated at **KHASARA NO. 3640/2310 (3857/3640), 3474/3278, 3475/3278, 3493/3474, 3494/3475, CHHAJOLI ROAD, JAYAL, DIST – NAGAUR (RAJASTHAN)** has personally inspected by me. The land and building mentioned in the statement below and same is based on registered documents, date measurements and specifications found at the site.

1.	Name of the Society/Trust i.e. Management of the institution	**VEER TEJA SHIKSHAN SANSTHAN , JAYAL, DIST. - NAGAUR (RAJASTHAN)** Copy Enclosed : YES
2.	The Society/Trust i.e. management of institution is having the PAN/TAN No.	**PAN No. : AABTV4167E** Copy Enclosed : YES
3.	Name of Institution	**VEER TEJA CO-EDUCATION COLLEGE, JAYAL**
4.	A certificate from the competent authority to the effect that the society sponsoring the instruction has transferred and vest the title of the land and building in the name of the institution as per clause 8 (7) (iv) of the NCTE Regulation, 2009 Note : Clause 8 (7) (iv) of the NCTE Regulation, 2009 provides that "the society sponsoring the institution shall be required to transfer and vest the title of the land and building in the name of institution within a period of six months from the date of issue of formal recognition order under sub-regulation (11) of regulation 7.	**Copy Enclosed : Yes**

ATTESTED

NOTARY JAYAL Dist. NAGAUR

20/2/23

NOTARY GOVT. OF RAJASTHAN

	However in case, the society fails to do so due to local laws or rules or bye-laws, it shall intimate in writing with documentary evidence, of its inability to do so."	
5.	Location with Khata / Khasara / Street No. / Ward No. Name of the place Municipality / Panchayat	**3640/2310 (3857/3640), 3474/3278, 3475/3278, 3493/3474, 3494/3475, CHHAJOLI ROAD, JAYAL, DIST – NAGAUR**
6.	Date of Registration of Land	**3640/2310 (3857/3640) - 08-04-2013 3474/3278 - 21-07-2011 3475/3278 - 18-07-2011 3493/3474 - 21-07-2011 3494/3475 - 18-07-2011**
7.	Registered in the office of Sub-Registrar / Tehsildar with address.	**Sub Registrar, JAYAL**
8.	The location of the land of the institution is in a single plot or different plots.	**SINGLE**
9.	If the location of land of the institution is not in a single plot the distance of different plots be mentioned.	**---- N. A. ----**
10.	Type of ownership of land.	**99 Yrs Lease**
11.	Building plan approved by (Address of Corporation, Municipality / Panchyat / any other govt. agency.	**A.EN., P.W.D., JAYAL** (As Per Construction)
12.	Year of completion of construction of the building.	**Year 2012**
13.	Purpose for which the building is being used / proposed to be used	**Educational**
14.	Electricity Connection No.	**Account No. :- 110341009903 / 0602/0034**
	Telephone Connection No.	**Account No. :- 1019548624 Telephone No. :- 01583-272981**
	Water Connection No.	**At present use water of Personal Tube-Well.**
15.	Total land area of the institution.	**149456.9 Sq. Ft. 13885 Sq. Mtr.**
	Total built up area of the institution.	**42770.67 Sq. Ft. 3973.48 Sq. Mtr**
16.	Total land area marked for particular teacher training programme along with name of course.	**2573.39 Sq. Mtr.** Name of Course : **B.A. B.ED. / B.SC. B.ED.**
17.	Details of construction of building (Roofing – Mention RCC / Asbestos / Tiled / any other)	see below
18.	Details of Land Use Certificate for education purposes from the concerned Govt. authorities.	**Total Land is NAME OF VEER TEJA SHIKSHAN SANSTHAN , JAYAL, DIST. - NAGAUR (RAJASTHAN)**

Item 17 – Details of construction of building:

Floor	Built up Area	Roofing
Ground Floor	27700 Sq. Ft. 2573.39 Sq. Mtr	RCC
First Floor	11764.67 Sq. Ft. 1092.96 Sq. Mtr	RCC
Second Floor	3306 Sq. Ft. 307.13 Sq. Mtr.	RCC
Total	42770.67 Sq. Ft. 3973.48 Sq. Mtr	RCC

On verification of the above on site, I hereby certify that:

ATTESTED
NOTARY ... DIST. NAGAUR
20/2/2014

1- The land & building of the institution is exclusively meant for running teacher training programme. The institution campus, building, furniture etc. is barrier free. There is no temporary structure, asbestos / tin sheet shed available in the building. Safeguard against fire hazard has been provided in all parts of the building.

2- The building of the institution is constructed keeping in view the provisions and bye-laws of the building construction as per the Bureau of Indian Standards and the same is structural safe and secure to run the teacher training course.

3- The construction of the building is completed in all respects and the building is structurally sound to be used for Educational purposes and having the load bearing capacity as per the latest Indian Standards.

Date:- 20.02.2024

Signature with Seal

Name of approved authorized Engineer / Architect:	
Designation:	
Office Address:	सहायक अभियन्ता नगरपालिका-जायल

Certified by Competent Govt. Authority / Local Govt. Body

Signature with Seal

Name of the competent authority	
Designation:	अधिशाषी अधिकारी
Office Address:	नगर पालिका, जायल

Countersigned by the authorized representative of the management of the Institution

अध्यक्ष

Signature with Seal

जायल, जिला - नागौर (राज.)

Name of the authorized representative of the society / trust running the teacher training programme.	**SHRI BHOM SINGH LOMROR**
Designation:	**CHAIRMAN**
Name of the society / trust	**VEER TEJA SHIKSHAN SANSTHAN , JAYAL, DIST. - NAGAUR (RAJ)**
Office Address:	**KHASARA NO. 3640/2310 (3857 / 3640), 3474/3278, 3475/3278, 3493/3474, 3494/3475, CHHAJOLI ROAD, JAYAL, DIST – NAGAUR**

ATTESTED

NOTARY

20/2/2024

नगर पालिका, जायल

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/JAYAL/FIRENOC/2025-26/67386

जारी दिनांक: 30-MAR-2026 वैधता दिनांक: 29-MAR-2028

प्रेषित–

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: JEETENDER SINGH

आवेदक का पता: CHHAJOLI ROAD, JAYAL

विषयः– अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन **VEER TEJA CO EDUCATION COLLEGE, 1, CHHAJOLI ROAD, JAYAL, JAYAL, NAGAUR, RAJASTHAN** का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह **स्थाई** (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तेः–

1. 1 रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर कि उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा। 2 यह अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा। 3 अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा 4 निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा 5 फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा। 6 भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नही रखा जावे। 7 अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने कि तिथि से एक व
2. 7 अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने कि तिथि से एक वर्ष कि अवधि हेतु ही मान्य होगा। एक वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगाए अन्यथा अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी। 8 भवन के समस्त स्टाफ व सिक्योरिटी गार्डस को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा। 9 यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियमध्उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा 10 भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यर
3. 11 पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।ध् 12 फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा। 13 भूमि व भवन संबधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतू यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नही होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उतरदायी होगा। 14 यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रूफटꥰप रेस्टोरेंट के लिए मान्य नहीं हैं। जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा

Signed by: Shikesh Kankariya
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner
Location: JAYAL, Rajasthan
Date: 30/03/2026 16:54:32

अग्निशमन अधिकारी
नगर पालिका, जायल

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER P.W.D. DIVISION Jayal

No. :- EE/PWD/J/2024-25/ 2394 Date :- 07.02.2024

The Secretary,
Veer Teja Co-Education College, Chhajoli
Road – Jayal,Teh.-Jayal, Distt. Nagaur.

Subject :- Regarding Safety Certificate of Educational institute Veer Teja Co-Education College, Chhajoli Road-Jayal.

Reference :- Ref. of deposition fee-DD No. **237444** Dated **07.02.2024** for Rs **6000/-**

Sir,

It is to inform that above building has been inspected by Assistant Engineer **PWD Sub Dn jayal** on **Dated 08.02.2024.** On the basis of formal recommended by AEN PWD Sub Dn Jayal & affidavit furnished by owner this building is safe for College activities apart from Natural Disaster.

This Certificate is valid for a **period 3 (Three) Year** i.e. only upto **08.02.2027** (date) subjected to regular upkeep and satisfactory Annual maintenance by College owner.

Note :- For building as per enclosed map verified by AEN PWD Jayal. This certificate will stand null & voids automatically, if the building is used for any other purpose other than the College activities at any time during above period.

Your's faithfully

121

(Shiv Ram Meena)
Executive Engineer
PWD Dn. Jayal

No. :- EE/PWD/J/2024-25/ Date :-

Copy to the Assistant Engineer PWD Sub Dn. jayal with reference to your recommendation on College letter on dated 07.02.2024.

Executive Engineer
PWD Dn. Jayal

वीर तेजा सह–शैक्षणिक महाविद्यालय

छाजोली रोड़, जायल (नागौर)

Ramp Photo

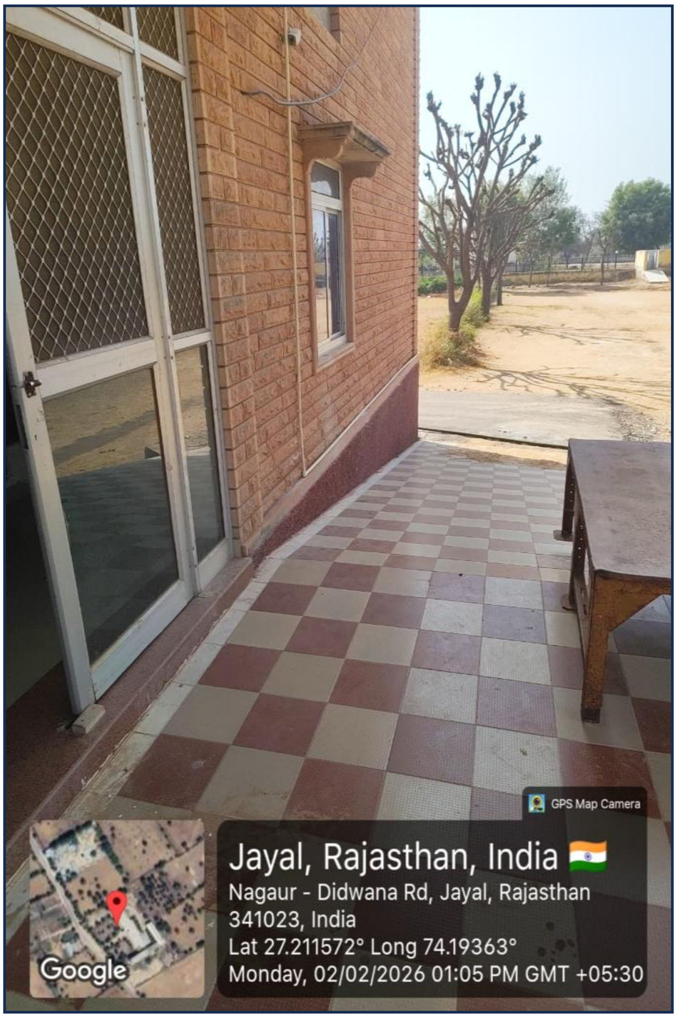

वीर तेजा सह–शैक्षणिक महाविद्यालय

<u>*छाजोली रोड़, जायल (नागौर)*</u>

Electricity Photo

वीर तेजा सह–शैक्षणिक महाविद्यालय

छाजोली रोड़, जायल (नागौर)

Safe Drinking Water

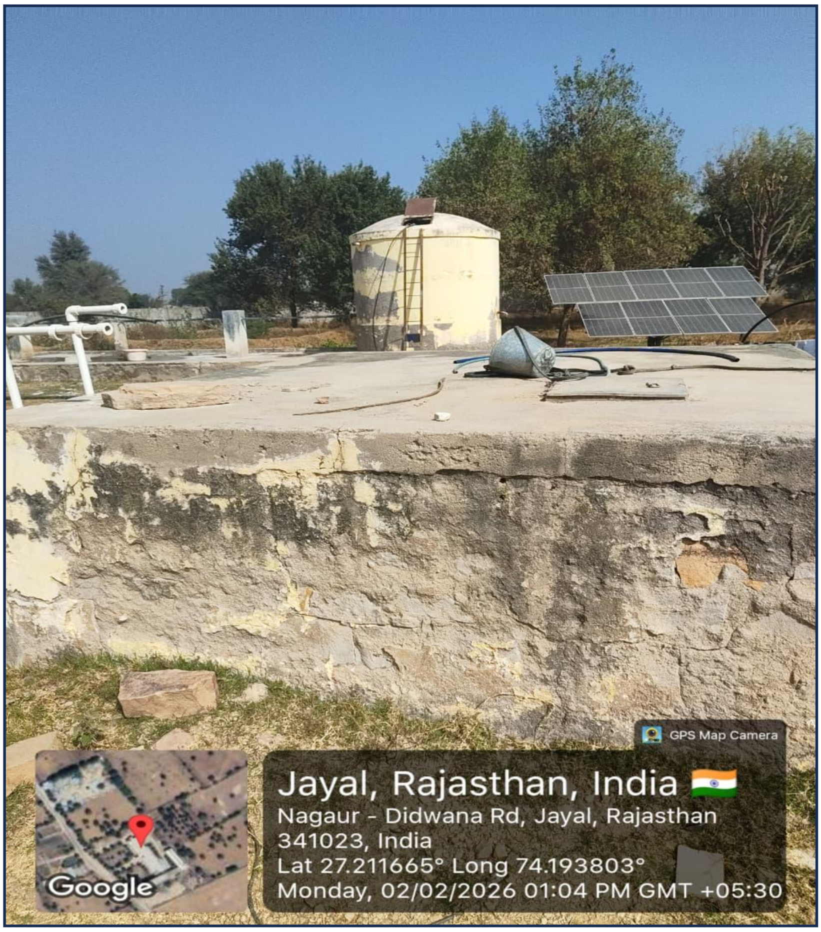

वीर तेजा सह–शैक्षणिक महाविद्यालय

<u>*छाजोली रोड़, जायल (नागौर)*</u>

Toilets

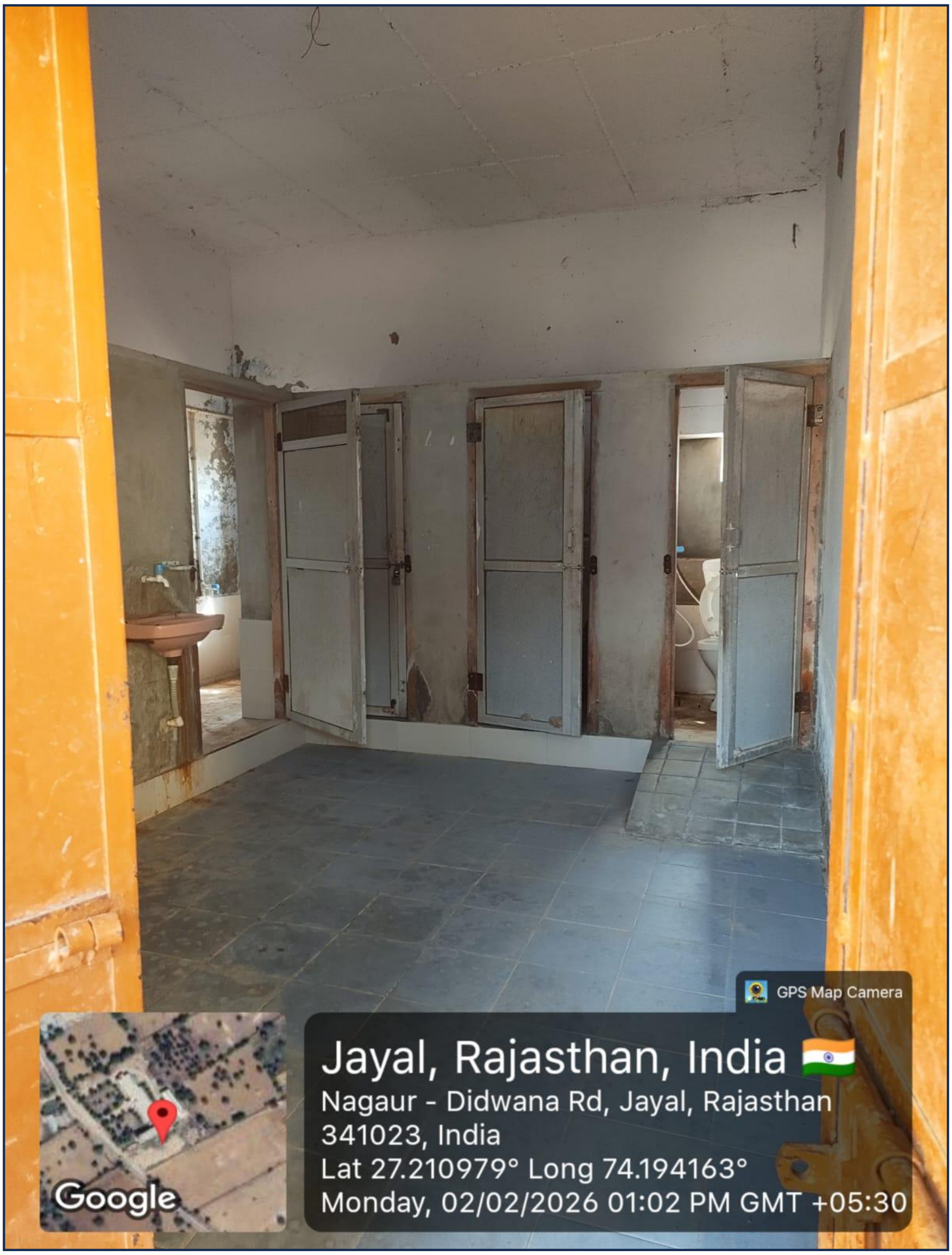

वीर तेजा सह–शैक्षणिक महाविद्यालय

छाजोली रोड़, जायल (नागौर)

Front Side Photo

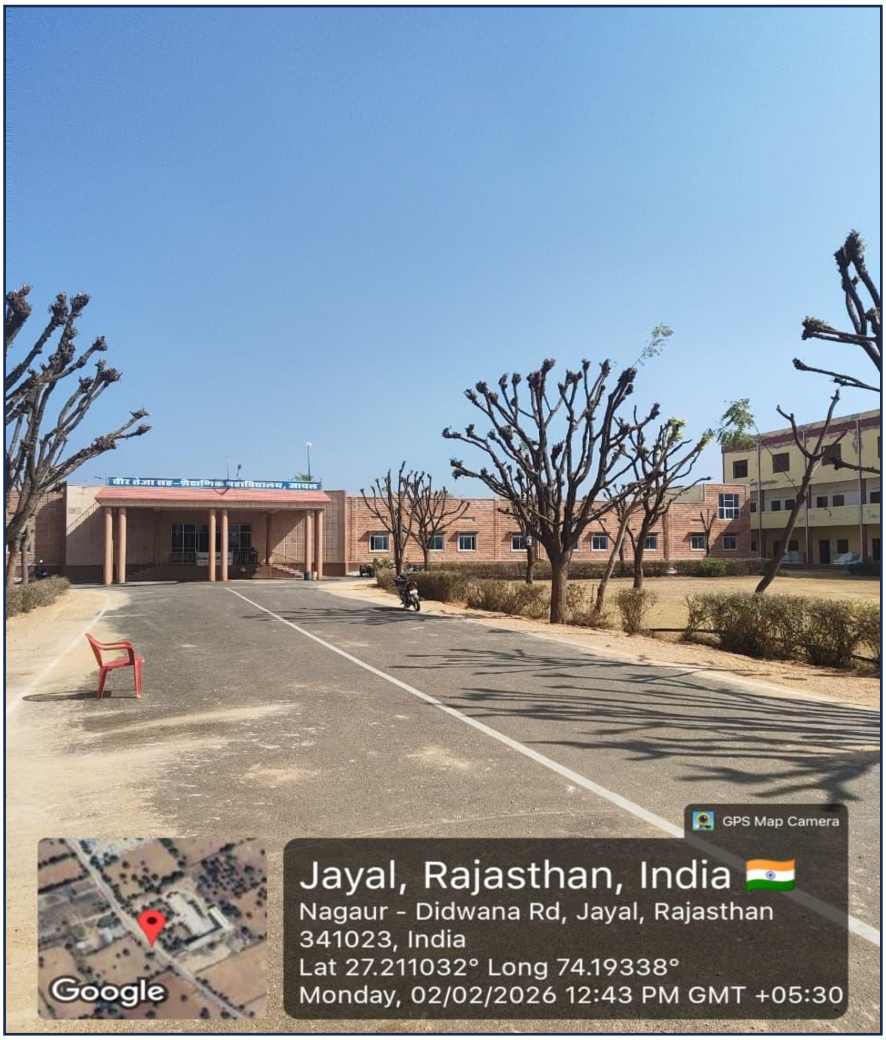

वीर तेजा सह–शैक्षणिक महाविद्यालय

छाजोली रोड़, जायल (नागौर)

Back Side Photo

वीर तेजा सह–शैक्षणिक महाविद्यालय

<u>*छाजोली रोड़, जायल (नागौर)*</u>

Multipurpose hall

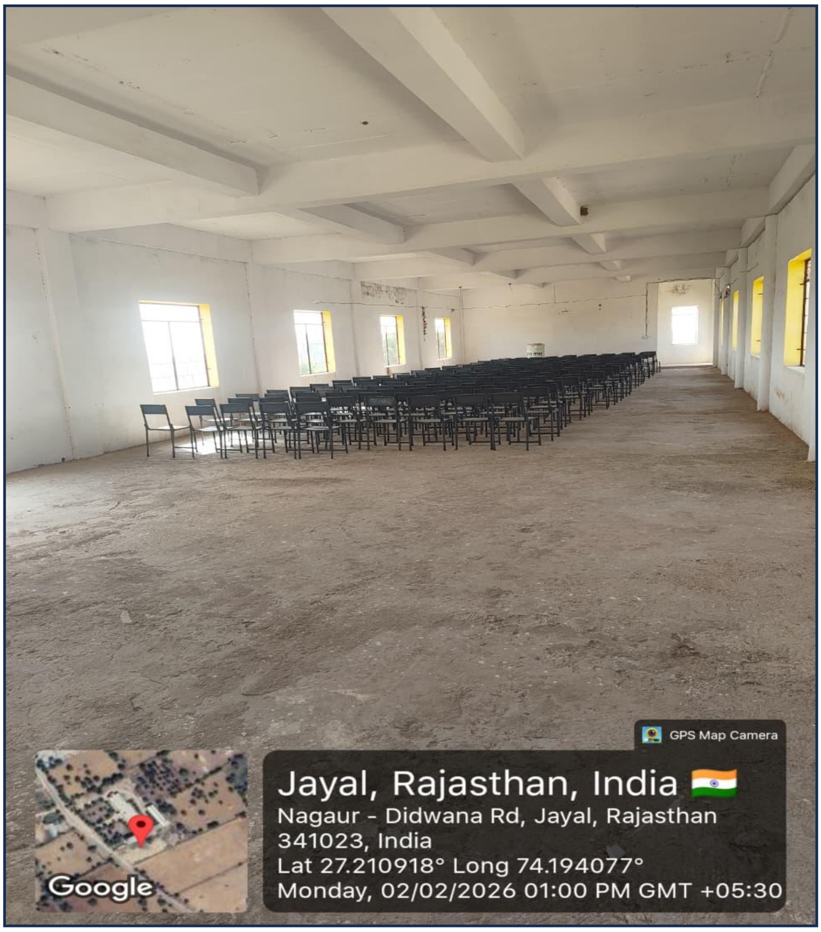

वीर तेजा सह–शैक्षणिक महाविद्यालय

छाजोली रोड़, जायल (नागौर)

Library

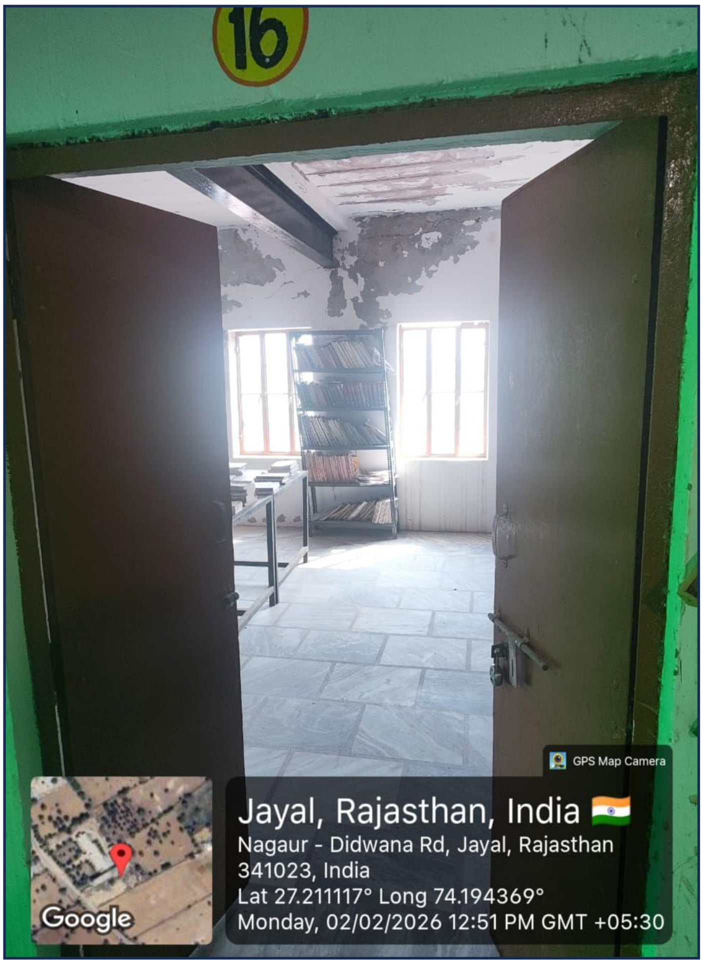

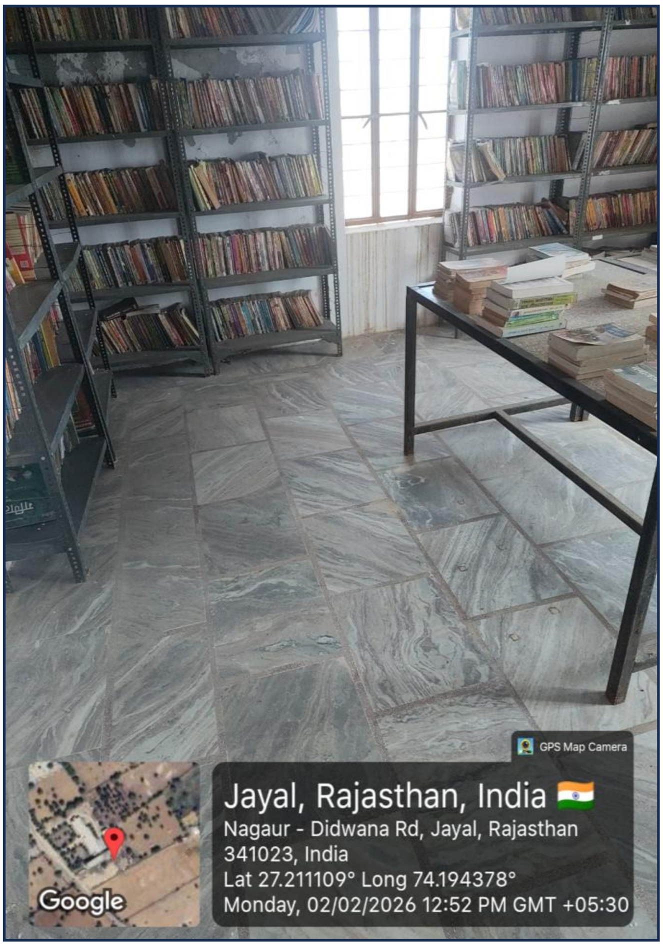

वीर तेजा सह–शैक्षणिक महाविद्यालय

छाजोली रोड़, जायल (नागौर)

Lab 1

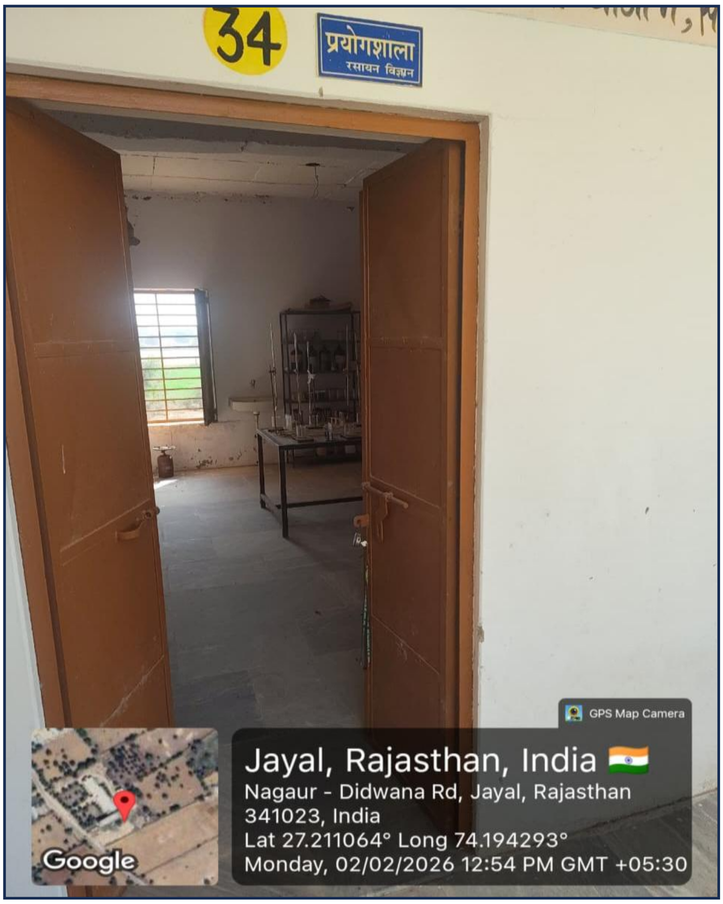

वीर तेजा सह–शैक्षणिक महाविद्यालय

छाजोली रोड़, जायल (नागौर)

Lab 2

वीर तेजा सह–शैक्षणिक महाविद्यालय

छाजोली रोड़, जायल (नागौर)

Lab 3

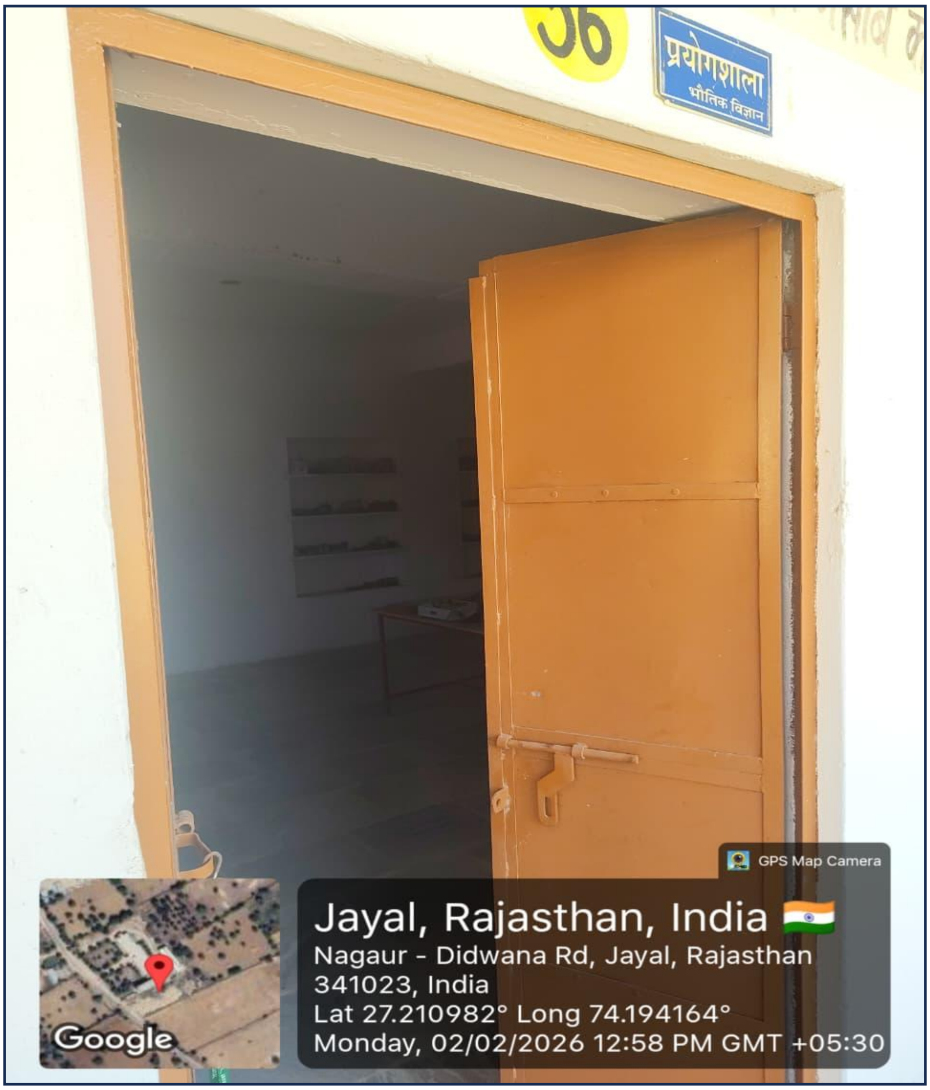

वीर तेजा सह–शैक्षणिक महाविद्यालय

छाजोली रोड़, जायल (नागौर)

Sport Ground

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड जायल (नागौर)

क्रमांक :– 2022 दिनांक :– 29/09/2025

प्रमाण –पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वीर तेजा सह–शैक्षणिक महाविद्यालय, जायल के भवन में पीने के पानी, शौचालय (बालक–बालिकाओं के लिए पृथक) एवं विशेष योग्यजन बालक–बालिकाओं के लिए भवन एवं सुविधाऐ बाधा–मुक्त है।

(शिव कुमार)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि., खण्ड–जायल